

राजस्थान सरकार
समान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/ ०१५

: जयपुर, दिनांक २२/८/२०१६

— आदेश :—

सुश्री पारुल ईर्मा पुत्री श्री किशन गोपाल शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय आयुक्तालय, सामाजिक न्यूय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या ३६/२०१४ एवं सेवानिवृत्ति दिनांक ३०.४.२०५० है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम १८ (राज्यादेश) व उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पिता श्री किशन गोपाल शर्मा, निजी सहायक, आयु ५५ वर्ष, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर को आवंटित राजकीय आवास संख्या ४/६, गांधीनगर जयपुर का उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक ३१.१.२०१६ को होने से उक्त आवास का आवंटन उनकी मुद्रा (सुश्री पारुल शर्मा) को आउट ऑफ टर्न नियमानुसार किया गया पर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आगे रिक्त किया जाता है :—

शर्तः—

१. आवास का कब्जा आवंटन तीव्रिय से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखते निःसंसाधा जावेगा।
२. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
३. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
४. जयपुर से बाहर रथानानारण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात ३.आवास रिक्त करना होगा।
५. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कथ करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
६. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
७. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 १. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 २. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवय/पति/पत्नि व उन पर आन्तित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कथ नहीं किया है।
८. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राज्यपाल जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. जिला कलक्टर, जयपुर।
२. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिरो सचिवालय, जयपुर।
३. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या ५८८/एम/जीएडी/१५ दिनांक १२.८.२०१६ के क्रम में।
४. आयुक्तालय, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
५. आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
६. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
७. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग, शासन सचिवालय-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
८. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
९. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर घरपा करावें।
१०. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
११. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
१२. रक्षित पत्रावली।

(राजकुमार शर्मा)

राज्यपाल शासन सचिव